दिनांक 10–04–2012 को श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही :–

1– उपस्थिति – पंजी के अनुसार

2– माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष की अनुमति से सर्वप्रथम सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ने राज्य सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सूचित किया कि आज की बैठक की कार्यावली एवं दिनांक–17.09.2011 की अंतिम बैठक की कार्यवाही तथा अनुपालन प्रतिवेदन सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है। किसी सदस्य द्वारा कार्यवाही में संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। अतः सर्वसम्मति से दिनांक–17.09.2011 की बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की गई।

<u>कार्यावली बिन्दु संख्या–2</u>

<u>विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा</u>

3– अध्यक्ष महोदय द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन प्रतिवेदन की कंडिकावार समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निर्णय लिये गये/निदेश दिये गये:–

संयोजक–सह–सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा बताया गया कि अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के प्रति जागरूक बनाने एवं प्रचार–प्रसार कराने के लिए 15 मिनट का टेली फिल्म तैयार किया गया है तथा जिला कल्याण पदाधिकारियों को प्रसार–प्रचार हेतु राशि उपलब्ध करायी गई है।

4– अनुसूचित जाति/जनजाति जाति के सदस्यों को भुदान जमीन, सरकारी जमीन, बासगीत पर्चा इत्यादि द्वारा उपलब्ध कराई गयी भूमि के संबंध में बड़ी संख्या में सामने आ रहे बेदखली के मामलों की समीक्षा एवं निरंतर अनुश्रवण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा गृह विभाग एक **विशेष कोषांग का गठन करते हुए संस्थागत व्यवस्था करना सुनिश्चित करें**। साथ ही इस तरह के मामलों की संख्या, दखल–कब्जा दिलाने के लिए की गयी कार्रवाई इत्यादि से संबंधित अंचलवार/ जिलावार/माहवार प्रतिवेदन तैयार करें और इसकी माहवार, जिला तथा राज्य स्तर पर समीक्षा करना सुनिश्चित करें ।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि जमीन संबंधी मामलों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग हर मामले की समीक्षा कर त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। भूमि/बेदखली से संबंधित शिकायतों में जहाँ अपराधिक मामला बनता है, वहाँ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश सभी आरक्षी अधीक्षकों को दिया जाय। पुलिस मुख्यालय/गृह (विशेष) विभाग इस तरह के मामलों की जिलावार एवं माहवार राज्यस्तर पर समीक्षा करना सुनिश्चित करें तथा इसके फला–फल के संबंध में अगली बैठक में प्रतिवेदन दें।

(अनुपालन– गृह विभाग, पुलिस मुख्यालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आरक्षी अधीक्षक)

5– प्रत्येक जिला में "अनुसूचित जाति/जनजाति विशेष थाना" खोलने में हो रहे बिलम्ब पर असंतोष व्यक्त किया गया और निदेश दिया गया कि गृह विभाग/पुलिस मुख्यालय इन थानों को क्रियाशील करने के लिए थाना भवन, वाहन, आरक्षी पदाधिकारी, आरक्षी बल एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में त्वरित कर्रवाई करें। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि इस तरह के विशेष थाने मात्र जिला मुख्यालय में ही खोले जायें, जहाँ जमीन उपलब्ध होने में कठिनाई हो रही है वहाँ तत्काल जिला मुख्यालय में अवस्थित बड़े थानों के परिसर में यह थाना खोलने की कार्रवाई की जा सकती है या किराया के मकान में भी थाना खोलने पर विचार किया जा सकता है।

(अनुपालन– गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय)

कार्यावली बिन्दु संख्या–3

अधिनियम एवं नियम के उपबन्धों के अनुसार लंबित वादों/अरुसंधानों/ अभियोजन की समीक्षा :–

6– पुलिस महानिरीक्षक (कमजोर वर्ग) के प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में ये बातें सामने आयी कि फरवरी, 2012 तक की अवधि में दर्ज काण्डों में 5841 कांड लंबित है। बड़ी संख्या में काण्डों के लंबित रहने पर चिन्ता व्यक्त की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि काण्डों का पर्यवेक्षण एवं निस्तार में गति लाने के लिए पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी जाँच कर्त्ताओं को निर्देश दिए जाए। साथ ही जिलास्तर पर मासिक समीक्षा करने की व्यवस्था की जाय। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दर्ज काण्डों में कम Conviction Rate पर भी चिन्ता व्यक्त की गयी और निदेश दिया गया कि Conviction Rate में सुधार के लिए काण्डों के अनुसंधान में प्रगति लायी जाय। निर्धारित 30 दिनों की अवधि में आरोप पत्र दायर किये जाय। आरक्षी अधीक्षकों द्वारा विशेष ध्यान देकर गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय। इस संबंध में आरक्षी महानिदेशक के स्तर से सभी आरक्षी अधीक्षकों को निदेश दिए जाय तथा मासिक समीक्षा की जाय।

(अनुपालन– आरक्षी महानिदेशक)

विशेष लोक अभियोजक के रूप में संवेदनशील एवं कर्मठ अधिवक्ताओं को जिम्मेवारी सौपी जाय। विशेष अभियोजकों के पिछले एक वर्ष के Performance की समीक्षा की जाय और अगर प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है तो संबंधित लोक अभियोजक के स्थान पर अन्य संवेदनशील एवं कर्मठ अधिवक्ताओं को इस अधिनियम के तहत् काण्डों में पैरवी करने की जिम्मेवारी सौंपी जाय। विशेष लोक अभियोजक की दैनिक भत्ता एवं फीस बढ़ाने की कार्रवाई की जाय एवं उन्हें समय पर भुगतान किये जाने की व्यवस्था की जाय।

(अनुपालन– विधि विभाग)

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गवाहों को न्यायालय आने–जाने हेतु भाड़ा, दैनिक भत्ता इत्यादि भी उपलब्ध कराना है लेकिन प्रायः जिलास्तर पर गवाहों को दैनिक भत्ता एवं न्यायालय में आने जाने हेतु भाड़ा का भुगतान नहीं किया जाता है। गवाहों को देय दैनिक भत्ता इत्यादि के भुगतान के लिए जिला को पर्याप्त आवंटन उपलब्ध कराया जाय और जिलास्तर पर इसके भुगतान की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(अनुपालन– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

7– अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पुलिस प्रशासन एवं अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा इस अधिनियम के तहत् दर्ज काण्डों के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में तेजी लाने तथा Conviction Rate बढ़ाने के लिए एक सुविचारित योजना तैयार की जाय।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जिस तरह शस्त्र अधिनियम के मामलों में योजनावद्ध तरीके से स्पीडी ट्रायल कराये जा रहे है और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए नीति निर्धारण कर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उसी तरह इस अधिनियम के तहत् भी दर्ज मामलों में विस्तृत योजना तैयार कर जिला स्तर पर लागू की जाय। इस अधिनियम के तहत् दर्ज काण्डों में गवाहों की ससमय उपस्थिति तथा समय पर अनुसंधान एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाए तथा अनुपालन सुनिश्चत कराया जाय।

अधिनियम के तहत दर्ज बादों के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में प्रगति लाने के लिए क्षेत्रीय आरक्षी अधीक्षक को आरक्षी महानिदेशक के स्तर से प्रभावी निदेश दिये जाय तथा उनके कार्यो की मासिक समीक्षा की जाय । प्रत्येक माह अधिनियम के तहत (1) लम्बित वादों की संख्या (2) दर्ज वादों की सख्या (3) निष्पादित वादों की संख्या (4) माह के अन्त में लम्बित वादों की संख्या जिला स्तर पर (विशेष पदाधिकारी के कार्यालय में) तथा जिलावार विवरणी आरक्षी महानिरीक्षक (क0 वर्ग) के स्तर पर संधारित की जाय एवं उसकी समीक्षा की जाय ।

(अनुपालन– आरक्षी महानिदेशक/आरक्षी महानिरीक्षक (क0वर्ग)/सभी आरक्षी अधीक्षक)

कार्यावली बिन्दु संख्या–4

पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा :–

8– अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पुलिस प्रशासन एवं गृह (विशेष) विभाग, जिला में पदस्थापित थाना प्रभारी/आरक्षी निरीक्षक/आरक्षी अधीक्षक इत्यादि को इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागु करने के लिए संवेदनशील बनाने के लिए विपार्ड के माध्यम से प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करें।

(अनुपालन–आरक्षी महानिरीक्षक/विपार्ड/गृह विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–5

पीड़ित व्यक्तियों को दी गयी राहत और पूर्नवास सुविधाएं तथा उससे सबंद्ध अन्य मामलों की समीक्षा :–

9– संयोजक–सह–सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ने सूचित किया कि वर्ष 2011–12 में जिलों को 250.00 लाख रूपये की राशि आवंटित की गयी है। जिससे अबतक 521 पीडितों को लाभान्वित किया गया है। बताया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण (संशोधन) नियम 2011–12 इस अधिनियम के तहत देय अनुदान की राशि के दरों में दिनांक 23–12–2011 के प्रभाव से वृद्वि की गयी है । जिसकी सूचना विभागीय पत्रांक–371 दिनांक 16–2–2012 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षकों, आरक्षी महानिदेशक (क0वर्ग) एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों को (संशोधन नियम–2011 की प्रति के साथ) उपलब्ध कराई गई है।

(ii) संयोजक–सह–सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति एवं उसके आश्रितों को राहत अनुदान में दी जा रही राशि की सूचना 18 जिलों से प्राप्त हो गयी है। माननीय मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि तत्काल इस सूची की प्रति सभी सदस्यों को उपलब्ध करायी जाय। साथ ही शेष जिलों से सूचना प्राप्त कर माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाय।

(iii) नियम–12(4)(21) के अन्तर्गत हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामुहिक बलात्कार, डकैती इत्यादि के मामलों में पीड़ितों को भुगतान की गयी राशि की राहत के राशि के अतिरिक्त अत्याचार के तारीख से तीन माह के भीतर निम्नांकित अतिरिक्त राहत की व्यवस्था की जानी है:–

(a) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को 3,000/–रुपये प्रति मास की दर से, या मृतक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार या कृषि भूमि, एक मकान यदि आवश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा।

(b) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण–पोषण का पूरा खर्चा/बच्चों को आश्रम स्कूलों/आवासीय स्कूलों में दाखिला।

(c) तीन माह की अवधि तक बर्तनों, चावल, गेंहूं, दालों, दलहनों आदि की व्यवस्था।

समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आयी की प्रायः उक्त अतिरिक्त राहत की व्यवस्था जिला स्तर पर नहीं की जा रही है।

माननीय मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों को मुख्य सचिव के स्तर से निदेशित किया जाय और उपरोक्त राहत वितरण के लिए प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था करने का निदेश दिया जाय।

(iv) समीक्षा के क्रम में ये बात भी सामने आयी कि नियम 1995 की धारा 3(1) xi एवं 3 (1) xii के अन्तर्गत क्रमशः "किसी महिला की लज्जा भंग करना" तथा "महिला का लैंगिंक शोषण करने" के लिए अनुदान राशि उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र की अर्हता के चलते इस तरह के मामलों में राहत अनुदान का भुगतान करना संभव नहीं हो पाता है। अतः इस अधिनियम में चिकित्सा प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने के लिए भारत सरकार को अनुरोध करने का निर्णय लिय गया।

(अनुपालन–आरक्षी महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

10– जिलों से प्राप्त सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठकों की कार्यवाही के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि हत्या/बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में भी अंतिम आरोप पत्र समर्पित करने में देरी के कारण राहत राशि भुगतान करने में कठिनाई होती है ।

माननीय मुख्यमंत्री ने निदेश दिया कि जिला पदाधिकारी इस अधिनियम के तहत् दर्ज काण्डों में तत्परता से राहत राशि का संशोधित दर पर भुगतान करना सुनिश्चित करें। पुलिस महानिदेशक के स्तर से भी सभी आरक्षी अधीक्षकों को निदेशित किया जाय कि इस अधिनियम के तहत् दर्ज वादों में अनुसंधान/अन्तिम आरोप पत्र त्वरित गति से समर्पित हों ताकि पीड़ितों को सहायता राशि से लाभान्वित कराया जा सके। सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी पुलिस अधीक्षक इस तरह के मामलों में विशेष ध्यान देकर ससमय आरोप पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करें ।

(अनुपालन–आरक्षी महानिदेशक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक)

कार्यावली बिन्दु संख्या–6

जिला स्तर पर गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के कार्यकलाप की समीक्षा:–

11– जिलास्तरीय सर्तकता एवं मोनेटरिंग समिति की नियमावली के नियम–17(ii) के अनुसार 5 गैर सरकारी सदस्य, 3 अनुसूचित जाति/जनजाति से भिन्न वर्ग के सदस्य तथा तीन अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित राज्य सरकार के वर्ग–"क" के अधिकारियों में से सक्रिय, कर्मठ एवं लगनशील व्यक्तियों को नामित करने की समीक्षा के क्रम में सूचित किया गया कि जिला पदाधिकारी, कटिहार को छोड़कर शेष जिला से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है।

सचिव–सह–संयोजक ने बताया कि जिलास्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति जो जिलास्तर पर प्रत्येक तीन माह में बैठक आयोजित की जानी है इसके लिए विभाग द्वारा रोस्टर निर्धारित कर सभी जिला पदाधिकारियों को सूचित किया गया था लेकिन 7 जिला यथा नवादा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चम्पारण, सुपौल, बाँका, लखीसराय, जमुई ने दो एवं छः जिले यथा अरवल, औरंगाबाद, सिवाल, दरभंगा, अररिया, किशनगंज से मात्र एक बैठक की सूचना प्राप्त हुई है।

इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि मुख्य सचिव के स्तर से सभी जिला पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय की विभाग द्वारा निर्धारित निम्नांकित रोस्टर के अनुसार सभी जिलास्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक करना सुनिश्चित करें साथ ही 15 दिनों में बैठक की कार्यावाही विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विभागीय पत्रांक–560 दिनांक–6.03.2012 द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को जिला स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का निर्धारित रोस्टर।

अप्रैल–जून	25 मई, 2012
जुलाई–सितम्बर	13 जुलाई, 2012
अक्टूबर–दिसम्बर	13 अक्टूबर, 2012
जनवरी–मार्च	13, जनवरी, 2013

(अनुपालन– सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–7

योजना एवं विकास विभाग द्वारा अनु0 जाति उपयोजना (SCSP) एवं अनु0 जनजाति (TSP) के तहत कर्णाकित राशि अन्तर्गत ली गई योजनाओं के संबंध में **Power Point Presentation:-**

12– माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अगली बैठक में अनु0 जाति उप योजना (SCSP)/अनुसूचित जनजाति उप योजना (TSP) के तहत् कर्णांकित राशि के लिए प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, विभिन्न विभागों द्वारा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के कल्याणार्थ योजनाएं के लिए कर्णांकित राशि एवं व्यय से संबंधी प्रगति की विभागवार विवरणी के संबंध में Power Point presentation अगली बैठक में करेंगे। **(अनुपालन– योजना एवं विकास विभाग)**

कार्यावली बिन्दु संख्या–8

13– अन्यान्यः–

(i) श्रीमती भागीरथी देवी, स0वि0स0 ने बताया कि

(a) प्रखण्ड– गौनाहा में गरीब लोगों के सिलिंग के जमीन/पर्चा की जमीन स्थानीय प्रशासन के मदद से अन्य लोग अवैध रूप से अतिक्रमण में किये हुए है। जिसका समाधान किया जाय।

(अनुपालन– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(b) प्रखण्ड– गौनाहा में वन विभाग द्वारा भवानीपुर, प्रेमनगर, श्री नगर तथा धनौजी के भू–स्वामियों का जमीन चिन्हित कर अधिग्रहण किया जा रहा है। कृपया इसकी जांच कराई जाए।

(अनुपालन– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ पर्यावरण एवं वन विभाग)

(c) प्रखण्ड– गौनाहा के जमुनिया, भवानीपुर, प्रेमनगर, श्री नगर तथा अन्य ग्रामों में जंगली जानवर जैसे बन्दर, जंगली सुअर द्वारा स्थानीय ग्रामीणों पर हमला किया जा रहा है। अनुरोध किया गया कि भारतीय थारू कल्याण महासंघ, रामनगर, दोन क्षेत्र से प्राप्त आवेदन, जो **पर्यावरण एवं वन विभाग** से संबंधित है, पर जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। कृपया पर्यावरण एवं वन विभाग से बचाव के लिए सुरक्षात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिया जाय।

(अनुपालन– पर्यावरण एवं वन विभाग)

(d) आरक्षी प्रेम पटवारी (38) पिता श्री मुक्तिनाथ पटवारी, नरकटिया दोन प्रखण्ड– रामनगर जिला– प0 चम्पारण को 8 साल के सेवा के बाद नौकरी से हटा दिया गया है। कृपया न्याय दिलाया जाय।

(अनुपालन– गृह (विशेष) विभाग)

(ii) (a) श्री रामलषण राम रमण, स0वि0स0 ने कहा कि मधुबनी जिलान्तर्गत अंधराढाढ़ी प्रखंड के अंचलाधिकारी श्री राजीव रंजन सिन्हा के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हो रही है। उन्होंने श्री छेदी राम पिता–स्व0 जगत राम, ग्रा0+पो0–महरैल प्रखण्ड–सह–अचंल– अंधराढाढ़ी जिला– मधुबनी से प्राप्त शिकायत पत्र भी बैठक में उपलब्ध कराया ।

(अनुपालन– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(b) ग्राम– बलियारी (पोऑवा), पंचायत–खरौट जिला–पटना के पंचायत रोजगार सेवक श्री राहुल कुमार द्वारा 65 महादलितों एवं दलितों के जॉव कार्ड एवं पासबूक अपने पास रख लिया गया और अवैध रूप से पोस्ट मास्टर से मिलकर पासबूक से राशि की निकासी कर ली गई है। उन्होने अनुरोध किया कि इस में मसौढी थाना में काण्ड सं0–29/10 दिनांक–19.01.2010 में मामला दर्ज है जिसकी जांच करायी जाय।

(अनुपालन– आरक्षी महानिदेशक/ प्रधान सचिव,ग्रामीण विकास विभाग)

(c) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अनु0 जाति/अनु0 जनजाति उम्मीदवारों को विशेष भर्ती अभियान के तहत कनीय वैज्ञानिक/सहायक प्राध्यापक/विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में पॉच वर्षो तक काम लेने के बाद उसे सेवा से हटाने के संबंध में है। सचिव, कृषि विभाग इस संबंध में जाँचोपरांत वस्तु स्थिति से समिति को अवगत करावें।

(अनुपालन– सचिव, कृषि विभाग)

(iii) श्री ललित भगत माननीय उपाध्यक्ष, राज्य अनु0 जनजाति आयोग द्वारा बताया गया कि नियम–10 के तहत जिला स्तर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट के रैंक से अन्यून एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में निदेश मुख्य सचिव के स्तर से भेजे जाय।

(अनुपालन– सामान्य प्रशासन विभाग)

(iv) श्री उदय मांझी, अध्यक्ष राज्य महादलित आयोग, बिहार पटना ने पटना जिला के जक्कनपुर थाना कांड सं0–48/2005 (श्रीमती तारा देवी पति स्व0 मोहन चौधरी, मीठापुर, बी एरिया जी0 पी0 ओं0, पटना) एवं पटना जिला के थाना कांड सं0–188/2006 (श्रीमती गीता देवी पति श्री शम्भु रजक, मो0–चीना कोठी जी0पी0ओ0 के पीछे) में अत्याचार से पीड़ित को न्याय दिलाने का अनुरोध किया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग को इसकी जांच कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– पुलिस महानिरीक्षक (क0व0)

(v) (a) श्री संतोष कुमार निराला, स0वि0स0 द्वारा बक्सर जिला के अचंल ब्रहमपुर के मौजा रमडीहा अन्तर्गत खाता सं0–74 खेसरा सं0–235/374 रकवा– एक एकड 24 डी0 भूमि थाना न0–97 की 1995–96 में सरकार द्वारा अनु0 जाति के श्री सुरेश राम, श्री अवधेश राम, श्री राम राम, श्री तेजू राम, श्री चन्द्र विजय राम के नाम आवंटित है, परन्तु अभीतक आवंटित भूमि पर दखल नही दिलाया गया है।

(अनुपालन– जिला पदाधिकारी, बक्सर/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(b) राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, बक्सर के छात्रों एवं शिक्षकों के बीच तनाव है, जिसकी सूचना जिला पदाधिकारी, बक्सर एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, बक्सर को दी गई है।

(अनुपालन– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(vi) श्रीमती अमला देवी, स0वि0स0 द्वारा सुपौल जिला के प्रखण्ड त्रिवेणीगंज अन्तर्गत ग्राम खोरिया पंचायत–थलहा गढिया उत्तर के मुखिया, मुखिया पति एवं बैंक कर्मी के द्वारा इंदिरा आवास योजना का रूपये बैंक से अवैध तरीके से निकासी कर लेने के संबंध में त्रिवेणीगंज थाना कांड सं0 06/12 दिनांक–14.1.2012 की ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया।

(अनुपालन– आरक्षी महानिदेशक/निगरानी)

(vii) श्री सोनेलाल हेम्ब्रम, स0वि0स0 ने इस अधिनियम एवं नियम के प्रचार–प्रसार पर विशेष ध्यान आकृष्ट किया गया।

(अनुपालन– अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(viii) श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 ने अमदाबाद थाना काण्ड सं0–17/12 अनुमंडल–मनिहारी जिला– कटिहार, एवं अन्य मामलों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

(अनुपालन– पुलिस महानिरीक्षक(क0व0)

(ix) श्री भूदेव चौधरी, माननीय सासंद ने अनुरोध किया कि बांका जिला में अनुसूचित जनजाति की संख्या एक लाख से अधिक है। इसके आलोक में बाकां जिला के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, चलायी जाय ताकि अनु0 जनजाति के बालक/बालिकाओं में साक्षरता दर की वृद्धि हो।

(अनुपालन– अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(x) श्री महेश्वर हजारी, माननीय सांसद ने सुझाव दिया कि अधिनियम एवं नियम के प्रचार–प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(अनुपालन– अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(xi) श्री हरि मांझी, माननीय सांसद ने गया जिला के फतेहपुर थाना काण्ड सं0–255/2011 की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

(अनुपालन– पुलिस महानिरीक्षक(क0व0)

(xii) श्री रामसुन्दर दास, माननीय सासंद द्वारा राज्य सतरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री –सह– अध्यक्ष से जमीन विवाद/बेदखली के मामले/बंधुआ मजदूर पर कार्य करने का अनुरोध किया।

(अनुपालन– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/श्रम संसाधन विभाग)

(xiii)– श्री विद्यानन्द विकल, माननीय अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने निम्नलिखित बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया:–

(a)– अधिनियम/नियम के अन्तर्गत हत्या, बलात्कार इत्यादि के संबंध में पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) द्वारा दिए गए आंकडे सही प्रतीत नहीं होते है। उन्होंने अनुरोध किया कि इसमें विश्वसनीय प्रतिवेदन तैयार किया जाय

(अनुपालन– पुलिस महानिरीक्षक, कमजोर वर्ग)

(b)– अनुरोध किया गया कि बेगूसराय एवं प0 चम्पारण जिला में भूदान की जमीन पर बेदखली का मामला है जिसे प्राथमिकता के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निष्पादित कराया जाय।

(अनुपालन– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(c)– इस अधिनियम के तहत दर्ज मामला उच्च न्यायालय में उचित पैरबी हेतु जिस तरह जिलास्तर पर विशेष लोक अभियोजकों को जिम्मेवारी सौंपी गई है इस तरह अपर महाधिवक्ता/स्थायी समुपदेशक/विशेष लोक अभियोजकों को जिम्मेवारी सौंपी जाय। माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक चिहिन्त करने का आश्वासन दिया गया।

(अनुपालन– विधि विभाग)

(xiv) माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार ने कहा कि जिला स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समय पर हो एवं नियम–10 के तहत सभी जिला में अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी नामित किया जाय।

(अनुपालन– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग)

(xv) माननीय मंत्री, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार ने कहा कि इस अधिनियम एवं नियम के प्रत्येक नियम की समीक्षा की जाय तथा अनुपालन पर और अधिक ध्यान दिया जाय।

(अनुपालन– अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ गृह विभाग)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निदेश दिया कि बैठक समय पर आयोजित की जाएगी अतः सभी सदस्यों से अपेक्षा है कि वे बैठक में कार्यावली बिन्दुओं एवं अधिनियम/नियम के सारे प्रावधानों को समझ कर आयें ताकि बैठक में अधिक उपयोगी विचार–विमर्श किया जा सके। साथ ही बैठक में ली गई निर्णयों पर दृढ़ता से कार्रवाई की जाय तथा अनुपालन प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराई जाय।

अन्त में संयोजक–सह–सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

सचिव 18.5.12
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।